

Annexure D

BUILDING SAFETY CERTIFICATE

No. 2513/ICB

Dated: 16.06.2025

It is certified that the existing building Holy Child Academy (name of the building or premises) at Ruhatta, Umarpur Jaunpur (address) is having block(s)/Floor(s) as per details below:

Detail of Block(s) in school	Block (1)	Block (2)	Block (3)	Block (4)	Block (5)	Block (6)
No. of Floor(s) in the Block	<u>G+3</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

The building is owned/occupied by Holy Child Academy (name of the Institution) have complied with the Building safety requirements in accordance with National Building code Rules, and verified by the officers concerned of Public Works Dept. Jaunpur (Name of Department/ Govt.) on 16.06.2025 (date of inspection) in the presence of Ashok Kumar Singh Ruhatta, Umarpur, Jaunpur (name and addresses of the Manager/Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy for running school with effect from 16.06.2025 for a period of 5 years (15.06.2030) years in accordance with rule and subject to compliance of the specific conditions as appended.

1. -
2. -
3. -
4. -

Issued on 16.06.2025 at 4:10 pm by


* Strike out whichever is not applicable. In case of block is more than six use separate sheet for detail.

Signature with Seal : 

Name : Vikash Gupta प्रांतीय खण्ड, लॉनेरिंग

Designation : Assistant Engineer जीनपुर

Name & Address of Department/ Office: Public Works Department, Jaunpur, (U.P.)



HOLY CHILD ACADEMY

Sr. Sec. School, Affiliated to CBSE, New Delhi

Ruhatta, Umarpur, Jaunpur (U.P.)- 222002

website : www.hcajaunpur.com

email : hcajaunpur@gmail.com

Phone: 9532975932

8528816818

सेवा में,

सहायक अभियंता

प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग

जाँनपुर (उ०प्र०)

महोदय,

सचिव सी०बी०एस०ई० बोर्ड के ई-मेल दिनांक 14-06-2025 के संदर्भ में आपसे निवेदन है कि विद्यालय का निरीक्षण करके भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र उनके द्वारा भेजे गये प्रपत्र (Annexure-D) पर निर्गत करने की कृपा करें।

सधन्यवाद

दिनांक- 16.06.2025

भवदीय

ASingh

डॉ० अशोक कुमार सिंह

प्रबन्धक

Manager

**Holy Child Academy Sr. Sec. School
Ruhatta, Jaunpur**

संलग्नक-

1. ई-मेल सी०बी०एस०ई०, न्यू दिल्ली
2. भवन संबंधी प्रमाण-पत्र पत्रांक 42/1सी
3. अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र

ASingh

भवन सम्बंधी प्रमाण-पत्र

पत्रांक 42/1 सी

दिनांक 27-02-2020

प्रमाणित किया जाता है कि होली चाईल्ड एकेडमी रुहट्टा उमरपुर, जौनपुर भवन के संलग्न फोटोग्राफ के अनुसार वर्तमान में निर्मित कक्ष नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के प्राविधानिक भूकम्परोधी मानक के अनुसार निर्मित है।



सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड, लो०नि०वि०
जौनपुर।

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C)/अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट सी०बी०एस०ई०/आई०सी०एस०ई० विद्यालय (कक्षा-6से 12) हेतु चेकलिस्ट

क्र.स.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
	भवन की चेक लिस्ट	
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
2	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	हाँ
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है?	हाँ
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्गमी०) है?	7200 वर्गमी०
5	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी० खुला स्थान है?	हाँ
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैंक से पार्किंग तो नहीं है?	हाँ/नहीं
7	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है?	9.00 मी०
9	क्या भवन की छत R.C.C की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ
10	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेन्ट मसाले से बनी है?	हाँ
11	क्या भवन की दीवारों/छतों में कैंक है?	नहीं
12	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है?	3.60 मी०
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी० है?	6.00m x 4.5m.
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ/नहीं
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
16	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (ऊँचाई 1.0 मी० ऊँचाई 2.0 मी०) है?	1.10 x 2.10 m.

27/02
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
जौनपुर

17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	हाँ
18	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी० ट्रेड 300 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है?	हाँ
19	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	हाँ
20	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	हाँ
21	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	हाँ
22	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First aid Box) स्थापित है?	हाँ


 सहायक अभियन्ता
 प्रांतीय स्तर, लो०मि०वि०
 जैनपुर